Public Notice

M/s. Chhattisgarh Solar Power Generator's Association, under Section 86(1)(e), has filed a Petition before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the rationalization of transmission charges applicable for Solar power plants are being commissioned after 27.12.2023. This petition is registered as Petition No. 55 of 2024. Reliefs sought by the petitioner are given below:

1. Admit and allow the present Petition and decide the issue raised by the Petitioner regarding levy of transmission charges on long-term open access in case of solar power generators;
2. Grant relaxation on transmission charges for long-term open access consumers of solar power and fix the same as NIL for 12 years from the date of commissioning to promote solar power in the State;
3. In case the Commission is not inclined to grant relief as stated in (b) above, kindly grant relaxation on transmission charges for long- term open access consumers of solar power and fix the same rationally to keep the same on per KWh basis and 50% of the transmission charges for short-term open access consumers and fix the same for 12 years from the date of commissioning and;
4. Pass such further order/orders as the Commission may deem fit in the interest of justice, equity and good conscience.

Persons intending to file Objections / suggestions, on the above petition, may submit the same to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in.

Copy of this notice and the petition are available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is also available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 200/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 50/- as postal expenses. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be published separately through newspapers.

Prashant Agrawal,
General Secretary
M/s. Chhattisgarh Solar Power Generator's Association

आमसूचना

छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा उत्पादक संघ द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ई) के अन्तर्गत दिनांक 27.12.2023 के बाद चालू होने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए लागू ट्रांसमिशन शुल्क के युक्तिकरण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक याचिका दायर किया गया है। इस याचिका को याचिका क्रमांक 55/2024 के रूप में पंजीकृत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में चाही गई राहतें नीचे दी गई हैं :–

1. वर्तमान याचिका को स्वीकार कर, याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु,
2. राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, सौर ऊर्जा के दीर्घकालिक ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए ट्रांसमिशन शुल्क को आने वाले 12 वर्षों के लिए शून्य किए जाने हेतु,
3. यदि आयोग बिन्दु क्रमांक–2 में चाही गई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है तो सौर ऊर्जा के दीर्घकालिक ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं हेतु लागू ट्रांसमिशन शुल्क को प्रति यूनिट के आधार पर तय करने हेतु तथा अल्पकालिक ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए कमीशनिंग की तारीख से 12 वर्षों के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने हेतु,
4. अथवा आयोग ऐसा कोई आदेश पारित करे जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार उचित हो।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति, इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001, ईमेलः cserc.sec.cg@nic.in पर भेजी जा सकती है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर 492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रूपये 200/– का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांयः 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रूपये 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त याचिका पर निर्धारित की गई तिथि, समय एवं स्थान पर जन–सुनवाई भी की जावेगी, जिसकी सूचना आयोग द्वारा समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

(प्रशांत अग्रवाल)
जनरल सेक्रेटरी,
मेसर्स छत्तीसगढ़ सोलर पॉवर
जेनेरेटर्स एसोसिएशन